समक्ष सतीश कुमार मित्तल और जसवंत सिंह माननीय न्यायमूर्ति

मनोज और अन्य,- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाताओं

C.W.P.No. 14274/2008

15th सितंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 228-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973-एस। 10 और 18-हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978-Rl.70 (1) (b)-राष्ट्रपति का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित-प्रत्यर्थी नं. 3 'महिलाओं' के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में निर्वाचित- क्या राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है-आयोजित, हाँ-1978 नियम यह प्रावधान नहीं करते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित है तो केवल वही व्यक्ति जो उक्त श्रेणी से नगर पार्षद के रूप में चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है-याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 के उपबंधों में यह उपबंध नहीं है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित है, तो केवल वही व्यक्ति जो उक्त श्रेणी से नगरपालिका पार्षद के रूप में निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का पात्र है। प्रतिवादी नं. 3 न तो अनुसूचित जाति से संबंधित है और न ही पिछड़े वर्ग से। वह सामान्य श्रेणी की हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुनी गई हैं। हमारी राय में, उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, केवल इस आधार पर कि वह एक महिला हैं और उन्हें कीड़े के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुना गया है।

(Para 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि महिलाओं की आरक्षित श्रेणी से पार्षद के रूप में चुनी गई महिला को सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह महिलाओं की श्रेणी के लिए आरक्षित कार्यालयों की संख्या को बाधित नहीं करेगा। जहाँ तक अनुसूचित जाति के मामले में अध्यक्षों की सीटों का आरक्षण और पिछड़े वर्ग की श्रेणियों का संबंध है, इसे उस क्षेत्र में उस श्रेणी की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर चुनाव नियमों के नियम 70 (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 के तहत बनाया गया है। हालांकि, जहां तक महिलाओं के लिए आरक्षण का सवाल

है, नगरपालिकाओं के अध्यक्षों की न्यूनतम एल/तीसरी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। उक्त आरक्षण न्यूनतम आरक्षण है, लेकिन महिला श्रेणी से नगरपालिका समितियों के अधिक अध्यक्ष हो सकते हैं। इसलिए, यदि महिलाओं की आरक्षित श्रेणी से चुनी गई महिला को सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह आरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा। (Para 15)
याचिकाकर्ता के वकील हरमनजीत सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता कंवलजीत सिंह।

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल,
(1) याचिकाकर्ता, जो नगर परिषद, भिवानी के 2 नगर पार्षदों हैं, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत श्रीमती के चुनाव को रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की है। सेवा देवी-(प्रतिवादी नं. 3 इसमें) नगर परिषद, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में।

(2) वर्तमान मामले में, नगर परिषद, भिवानी के अध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित था। इससे पहले, एक एस। नंद लाई चावला को भिवानी नगर परिषद का अध्यक्ष चुना गया। दुर्भाग्य से उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए, नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी को उपायुक्त, भिवानी द्वारा नगर परिषद, भिवानी के अध्यक्ष के पद के चुनाव के उद्देश्य से हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1978 के नियम 70 (1) (बी) के तहत नगर परिषद, भिवानी के सदस्यों की बैठक बुलाने और आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उक्त बैठक की तिथि 6 अगस्त, 2008 निर्धारित की। उक्त बैठक में 30 निर्वाचित नगर पार्षद और 1 मनोनीत पार्षद श्रीमती. सेवा देवी (प्रतिवादी नं. 3) नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, क्योंकि 30 निर्वाचित पार्षदों में से 7 पार्षद, याचिकाकर्ताओं सहित, उक्त बैठक से बाहर चले गए और शेष 23 निर्वाचित पार्षदों ने भाग लिया, जिनमें से 22 ने प्रतिवादी नं। 3.

(3) अब, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नं. 3 नगर परिषद, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में, इस बात पर कि वह 'महिलाओं' की श्रेणी के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुनी गई थी, इसलिए वह नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थी, जिसे सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है।

(4) अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 10 की उप-धारा (5) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) का उल्लेख किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद सामान्य श्रेणी,

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं से संबंधित सदस्यों में से बारी-बारी से और निर्धारित तरीके से लाट्स द्वारा भरे जाएंगे। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं अलग-अलग श्रेणियां हैं, इसलिए, एक श्रेणी में चुने गए पार्षद को उस श्रेणी के लिए आरक्षित नगर समिति/परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे अधिनियम की धारा 18 के दूसरे परन्तुक का उल्लेख किया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनके कार्यकाल के दौरान खाली हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए एक नया चुनाव उसी श्रेणी से आयोजित किया जाएगा। विद्वान वकील ने चुनाव नियमों के नियम 70 (4) का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि 'महिला' श्रेणी के लिए आरक्षित सीट से चुने गए नगर पार्षद को 'सामान्य' श्रेणी के लिए आरक्षित राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह विभिन्न श्रेणियों के लिए उप-नियम (4) के तहत निर्धारित राष्ट्रपति के पद के प्रतिशत को बाधित करेगा।

(5) उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लेख करते समय, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि नगर परिषद, भिवानी के अध्यक्ष का पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है, इसलिए, केवल सामान्य श्रेणी से नगर पार्षद के रूप में निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का पात्र है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पहले श्री नंद लाई चावला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि उन्हें सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुना गया था और उनकी मृत्यु के बाद, सामान्य श्रेणी से चुने गए नगर पार्षद को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। प्रतिवादी नं. 3, जिसे 'महिलाओं' की आरक्षित श्रेणी से नगर पार्षद के रूप में चुना गया था, उसे सामान्य श्रेणी से संबंधित पार्षद के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए, अध्यक्ष के रूप में उसका चुनाव अलग किया जा सकता है। उनके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अनिल जैन (टीनू) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एल. पी. ए. एन. ओ. में इस अदालत के एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। 2007 का 66,31 जुलाई, 2008 को तय किया गया।

(6) याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने के बाद, हमें उनके द्वारा उठाए गए विवाद में कोई सार नहीं मिलता है।

(7) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 के खंड (ख) और निर्वाचन नियमों के नियम 74 को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन नियमों के नियम 75 के अधीन प्रस्तुत निर्वाचन याचिका, जो अधिनियम की धारा 265 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निर्वाचन अधिकरण द्वारा विनिश्चय की जानी है, के सिवाय किसी नगर परिषद् के पार्षद के रूप में या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किए गए अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(8) गुणदोष पर भी, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क मान्य नहीं है। विवाद को समझने के लिए, अधिनियम की धारा 10 और 18 और चुनाव नियमों के नियम 70 (4) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

10 सीटों का आरक्षण।(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के बराबर होगी, जैसा कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की आबादी उस क्षेत्र की कुल आबादी के बराबर है और ऐसी सीटें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की अधिकतम आबादी वाले ऐसे वार्डों को आवंटित की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम नहीं अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें बारी-बारी से और उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों के बीच लॉट द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ऐसी सीटें उप-धारा (1) (2) के तहत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से और लॉट द्वारा आवंटित की जा सकती हैं और (4).

(4) [प्रत्येक समिति में दो स्थान] पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे जो ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे जहां पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की अधिकतम आबादी है।

(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पदों को सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं से संबंधित सदस्यों में से बारी-बारी से और नियत तरीके से भरा जाएगा।

(6) उपधारा (1) और (2) के अधीन सीटों का आरक्षण और उपधारा (4) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षण के अतिरिक्त राष्ट्रपति के पद का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(7) उपधारा (1) (2) (4) और (5) के अधीन सीटों के आरक्षण की समीक्षा प्रत्येक दशकीय जनगणना के पश्चात् की जाएगी।

(8) इस धारा में यथा प्रगणित आरक्षण प्रत्येक निर्वाचन के समय जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा।

18. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव।(1) प्रत्येक नगर समिति या नगर परिषद, समय-समय पर, अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को ऐसी अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में चुनती है जो निर्धारित की जाए, और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य नगर समिति या नगर परिषद का अध्यक्ष बन जाएगाः

बशर्ते कि नगरपालिका समिति और नगर परिषद में अध्यक्ष का पद धारा 10 में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगाः

बशर्ते कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान खाली हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए एक नया चुनाव उसी श्रेणी से आयोजित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नगरपालिका समिति या नगर परिषद भी, समय-समय पर, अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगीः बशर्ते कि यदि उपराष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनके कार्यकाल के दौरान खाली हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए एक नया चुनाव किया जाएगा।

(3) उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्य के रूप में उनके पद की अवशिष्ट अवधि के लिए, जो भी कम हो, होगा।

70. निष्ठा की शपथ और राष्ट्रपति के चुनाव आदि-(1) से (3) xxx

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं से संबंधित सदस्यों में से बारी-बारी से भरे जाएंगे, जो नीचे दिए गए विस्तृत तरीके से निर्धारित किए जाएंगेः

परन्तु राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित राष्ट्रपति के पदों की संख्या नगरपालिकाओं के ऐसे पदों की कुल संख्या के समान अनुपात में होगी जो राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के बराबर हैः

बशर्ते कि नगरपालिकाओं में राष्ट्रपति के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग-अलग नगर पालिकाओं में बारी-बारी से किया जाएगा, जिसका निर्धारण हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त और संबंधित जिलों के उपायुक्तों या उनके नामित व्यक्ति की एक समिति द्वारा ड्रा द्वारा किया जाएगा। यदि आरक्षित श्रेणी की महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो अध्यक्ष का पद उक्त आरक्षित श्रेणी के पुरुष सदस्य से भरा जाएगा। यदि बाद में आरक्षित श्रेणी की महिला चुनी जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा और निर्वाचित महिला को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए अध्यक्ष के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी और विभिन्न नगर पालिकाओं में बारी-बारी से होगी, पहला, अनुसूचित जातियों की सबसे बड़ी आबादी वाली, दूसरा, पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी आबादी वाली शेष नगर पालिकाओं से और वे अपनी अगली सबसे बड़ी आबादी वाली नगर पालिकाओं के कार्यालयों के बाद के कार्यकालों में बारी-बारी से काम करेंगे। पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के संबंध में दो नगर समितियों या नगर परिषदों की जनसंख्या का प्रतिशत समान होने की स्थिति में आरक्षण का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा और संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके नामित व्यक्ति से बनी समिति द्वारा किए जाने वाले लॉट के ड्रॉ द्वारा किया जाएगाः

बशर्ते कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नगर परिषद के पद के मामले में, अध्यक्ष का चुनाव पिछड़े वर्गों से संबंधित सदस्यों में से किया जाएगा और नगरपालिका समिति के मामले में, पिछड़े वर्गों के सदस्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया समझा जाएगा।

(9) अधिनियम की धारा 10 से पता चलता है कि उपधारा (1) में यह उपबंध है कि प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएँगे और नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए स्थान आरक्षित किए जाएँगे और ऐसे स्थान अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या वाले वार्डों को आबंटित किए जा सकेंगे। उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। उपधारा (3) में यह उपबंध है कि प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। एक तिहाई में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या शामिल है। यह और उपबंध किया गया है कि ऐसी सीटों को उप-धारा (1) (2) के अधीन आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर नगरपालिका के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से और लॉट द्वारा आबंटित किया जा सकता है और (4). उपधारा (4) में यह उपबंध है कि प्रत्येक समिति में दो स्थान पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाएँगे और वे स्थान ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटित किए जाएँगे जिनकी जनसंख्या पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की अधिकतम हो। उप-धारा (5) में यह उपबंध है कि नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों को सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं से संबंधित सदस्यों में से बारी-बारी से भरा जाएगा।

(10) अधिनियम की धारा 18 के दूसरे परन्तुक में यह उपबंध है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो जाता है तो उसी श्रेणी से शेष अवधि के लिए एक नया निर्वाचन किया जाएगा।

(11) निर्वाचन नियमों के नियम 70 के उपनियम (4) के दूसरे परन्तुक में यह उपबंध किया गया है कि नगरपालिकाओं में राष्ट्रपति के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं। "यदि आरक्षित श्रेणी की महिलाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो राष्ट्रपति का पद उक्त आरक्षित श्रेणी के पुरुष सदस्य से भरा जाएगा" शब्दों का अर्थ है कि यदि राष्ट्रपति का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है और कोई अनुसूचित जाति की महिला उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद अनुसूचित जाति श्रेणी के पुरुष सदस्य से भरा जाएगा। इसी प्रकार, यदि राष्ट्रपति का पद पिछड़े वर्ग

की महिला के लिए आरक्षित है और उस श्रेणी की कोई महिला उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति का पद पिछड़े वर्ग श्रेणी के पुरुष सदस्य से भरा जाएगा। इसी प्रकार, यदि राष्ट्रपति का पद एक महिला (सामान्य) के लिए आरक्षित है और कोई महिला (सामान्य) उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति का पद सामान्य श्रेणी के पुरुष सदस्य से भरा जाएगा। इस परंतुक में यह प्रावधान नहीं है कि एक महिला, हालांकि सामान्य श्रेणी से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से पात्र है, यदि वह 'महिला' की श्रेणी के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुनी गई थी, तो उसे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, केवल इस आधार पर कि वह महिलाओं की आरक्षित श्रेणी से पार्षद के रूप में चुनी गई थी। हमारी राय में, यदि किसी महिला नगर पार्षद को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, तो इससे सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित राष्ट्रपति पद का प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उपरोक्त प्रावधान सामान्य श्रेणी के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं करते हैं।

(12) उपरोक्त प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित है, तो केवल वही व्यक्ति जो उक्त श्रेणी से नगर पार्षद के रूप में चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का पात्र है। प्रतिवादी नं. 3 न तो अनुसूचित जाति से संबंधित है और न ही पिछड़े वर्ग से। वह सामान्य श्रेणी की हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुनी गई हैं। हमारी राय में, उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, केवल इस आधार पर कि वह एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुनी गई हैं। कासामभाई एफ. घांची बनाम चंदुभाई डी. राजपूत और अन्य (1). उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई उम्मीदवार, जो सामान्य सीट से नगर पार्षद के रूप में चुना गया था, नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र था, जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था? यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा उम्मीदवार नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पात्र था, जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित था, निम्नलिखित अवलोकन करते हुएः -

उन्होंने कहा, "अधिनियम और नियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं। वार्ड-वार कोई आरक्षण या वर्गीकरण नहीं किया जाता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों के सभी सदस्यों को एक वर्ग से संबंधित माना जाएगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे आरक्षित सीट के लिए चुने गए थे या सामान्य सीट के लिए। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के संबंध में भी यही स्थिति है। कानून उत्तरदाताओं द्वारा सुझाए गए प्रकार के किसी और उप-वर्गीकरण पर विचार या प्रावधान नहीं करता है। जिस प्रकार नगरपालिका के सभी सदस्य, चाहे वे किसी आरक्षित सीट के लिए चुने गए हों या

नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए पात्र हैं, जब यह सामान्य श्रेणी में आता है, उसी प्रकार जब रोस्टर के अनुसार राष्ट्रपति वह होगा जो अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित है, तो नगरपालिका के सभी सदस्य जो अनुसूचित जाति के हैं, चाहे वे किसी भी सीट पर चुने गए हों, चुनाव के लिए खड़े होने के पात्र होंगे। न तो अधिनियम और न ही नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि यह केवल एक ऐसा सदस्य है जो आरक्षित सीट के लिए चुना गया है जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े होने के लिए पात्र होगा जब उस श्रेणी के उम्मीदवार की नगरपालिका का अध्यक्ष बनने की बारी होगी। (महत्व जोड़ें)।

(13) निर्विवाद रूप से, प्रत्येक महिला नगर परिषद की एक सीट का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है। यह भी विवादित नहीं है कि एक महिला नगर पार्षद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकती है जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि चूंकि प्रतिवादी नं। 3 महिलाओं की श्रेणी के लिए आरक्षित सीट से नगर पार्षद के रूप में चुनी गई थी, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है। हमारी राय में, एक महिला पार्षद को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि वह महिलाओं की श्रेणी के लिए आरक्षित सीट से पार्षद के रूप में चुनी गई थी, क्योंकि ऐसा निषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

(14) अनिल जैन (टीनू) के मामले में इस न्यायालय का खंड पीठ का निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उस मामले में, विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या पिछड़ा वर्ग श्रेणी से पार्षद के रूप में चुने गए उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा सकता है, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है। उस मामले में, यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया थाः-"यद्यपि जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कासामभाई एफ. घांची के मामले में (उपर्युक्त) अभिनिर्धारित किया है कि पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन लड़ सकता है, लेकिन जहां पिछड़ा वर्ग वार्ड से निर्वाचित पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए, आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या को उनके आंकड़े से अधिक कर देता है जैसा कि गणना की गई है और नियम 70 (4) के पहले और तीसरे परन्तुक के अनुसार आवंटित किया गया है, यह आवश्यक रूप से पदों की संख्या को प्रभावित करेगा, इस प्रकार गणना की गई, प्रावधानों के तहत निर्धारित सूत्र के संदर्भ में, जिसमें पहले उल्लेख किया गया है और नियमों के नियम 70 (4) के तीसरे परन्तुक के तहत गणना की गई सूची का उल्लंघन करेगा।

(15) वर्तमान मामले में, यदि किसी महिला को, जिसे महिलाओं की आरक्षित श्रेणी से पार्षद के रूप में चुना गया है, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह महिलाओं की श्रेणी के लिए आरक्षित कार्यालयों की संख्या को बाधित नहीं करेगा। जहां तक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के मामले में अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का संबंध है, वही उस क्षेत्र में उस श्रेणी की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निर्वाचन नियमों के नियम 70 (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 के तहत किया गया है। हालांकि, जहां तक महिलाओं के लिए आरक्षण का सवाल है, नगरपालिकाओं के अध्यक्षों की न्यूनतम एल/तीसरी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। उक्त आरक्षण न्यूनतम आरक्षण है, लेकिन महिला श्रेणी से नगरपालिका समितियों के अधिक अध्यक्ष हो सकते हैं। इसलिए, यदि महिलाओं की आरक्षित श्रेणी से चुनी गई महिला को सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह आरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगा।

(16) रामी सैनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सी. डब्ल्यू. पी. नं. 16) में ग्राम पंचायत के पंच के चुनाव के संबंध में इसी तरह का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। 2008 का 12199,3 सितंबर, 2008 को निर्णय लिया गया) जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य (महिला) के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित पंच सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से पात्र था।

(17) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि प्रतिवादी नं। 3, जो महिलाओं की आरक्षित श्रेणी से पार्षद के रूप में चुनी गई थी, वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से पात्र थी, जो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित था। इस प्रकार, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा